न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 338/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भंवरलाल पुत्र जगदीश 2. लालाराम पुत्र जगदीश 3. शैतानराम पुत्र जगदीश 4. पुष्पा पुत्री जगदीश 5. किशनी पत्नी जगदीश जातियान नाई, निवासी– ओसियां, तहसील ओसियॉ जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ओसियॉ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.01.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, ओसियां के द्वारा प्रकरण संख्या 46/2009 अनवान भंवरलाल वगेराह बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री अजीत दैया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01 मई, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओसियॉ के ख0सं0 399 रकबा 02.04 बीघा, ख0सं0 1325 रकबा 12 बिस्वा, ख0सं0 1324 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकीन ढाणी, वक्त सेटलमेन्ट से अपीलान्टस के दारा स्व0 श्रीकिशन वल्द रामलाल के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। श्रीकिशन के फौत हो जाने पर उक्त भूमि उनके पुत्रों जगदीश व हस्तीराम के नाम से जरिये फौतेदगी नामान्तकरण के दर्ज हुई, जो निरन्तर चलती रही। हस्तीराम के लाऔलाद फौत होने पर उक्त भूमि भी भाई जगदीश के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात जगदीश के फौत होने पर हम अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। नामा0 संख्या 897 के जरिये ख0सं0 399 रकबा 02.04 बीघा में से 12 बिस्वा भूमि सार्व0 निर्माण विभाग के नाम सडक के रूप में दर्ज हुई तथा शेष अपीलान्टस के नाम रही। ख0सं0 399 व ख0सं0 1325 के बीच में से वक्त सेटलमेन्ट कटान रास्ता निकलता था वर्तमान में डामर सडक निकली हुई है। ख0सं0 1325 का रकबा उक्त आम सडक निकलने के बाद मौके पर करीब 11.13 बीघा है तथा सेटलमेन्ट के नक्शा मोमीट्रेस में नक्शे के स्केल, प्रकार, कंघी से नियमानुसार क्षेत्रफल लगभग 11.13 बीघा ही निकलता है परन्तु सेटलमेन्ट, पर्चा चकबंदी व तत्कालीन जमाबन्दी में राजस्व कार्मिकों की भूल/गलती से उक्त खसरे की भूमि 12 बिस्वा ही अंकित कर दी गई है जो एक लिपिकिय त्रुटि है जिसकी जानकारी अपीलान्टस को होने पर उक्त अशुद्धि को दुरूस्त करवाये जाने हेतु अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं होना

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है क्योंकि धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या किये बिना ही प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलान्टस के पूर्वज सेटलमेन्ट से ही खातेदार है ऐसे में एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को अपने राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज हुए रकबा भूमि की खातेदारी हासिल करने हेतु विधि अनुसार दावा बाबत खातेदारी घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र इस आधार पर पोषनीय नहीं होने से खारिज किया गया है उसे विधि अनुकूल उचित नहीं कहा जा सकता है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अपीलान्टस ख0सं0 399 व 1325 का रकबा नक्शे ट्रेस के अनुसार व मौके पर कब्जाकाश्त के अनुसार रकबे की बढोतरी करवाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। ख0सं0 1325 में से सडक की जमीन काटने के बाद अपीलान्टस के खाते में से ख0सं0 1325 ही पुरा हटा दिया गया जबकि मौके पर रकबा 11.01 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है तथा ख0सं0 1324 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0 ढाणी पर काबिज है। नक्शा ट्रेस को देखने मात्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बन्दोबस्त अधिकारियों की भूमि, लापरवाही व गलती से ख0सं0 1325 का रकबा 11.13 बीघा के स्थान पर केवल 12 बिस्वा अंकित कर दिया गया है। ऐसे में यदि उक्त रकबे की बढोतरी से नक्शा ट्रेस व मौके पर रकबा कम ज्यादा नहीं होगा, केवल राजस्व रेकर्ड में बढोतरी करके राजस्व रेकर्ड को नियमानुसार दुरूस्त किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2022 को निरस्त किया जावे तथा ख0सं0 399 व 1325 के जमबान्दी में कम दर्ज रकबे को दुरूस्त कर वास्तविक रकबे को जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की ओर से धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में अपनी खातेदारी की दर्ज रकबा भूमि के सम्बन्ध में सेटलमेन्ट के समय हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार से मौका फर्द तैयार करवाई तत्पश्चात अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में किसी शुद्ध इन्द्राज को भूल/गलती से अशुद्ध दर्ज हो जाने पर पुनः शुद्ध व दुरूस्त किया जा सकता है, पूर्व में दर्ज किसी कम रकबे को बढाया नहीं जा सकता है, ऐसे में अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की

चकबन्दी के दौरान जमाबन्दी में कम रकबा दर्ज किये जाने सम्बन्धित है, जो कि नियमित वाद का विषय है जबकि अपीलान्ट धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अनुतोष चाह रहा है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम मूलतः जमाबन्दी लेखन के दौरान लिपिकिय त्रुटियों को दुरूस्त किये जाने से सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुजांइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर